न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निशाल संख्या 28/2020 निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. गोपाल पुत्र श्री घीस्या जाति कुमावत उम्र 72 वर्ष निवासी कालेडाकवंवरजी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0
2. हरनाथ पुत्र श्री घीस्या जाति कुमावत उम्र 70 वर्ष निवासी कालेडाकवंवरजी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0
3. मूलचन्द पुत्र श्री घीस्या जाति कुमावत उम्र 65 वर्ष निवासी कालेडाकवंवरजी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0
4. जगदीश पुत्र श्री घीस्या जाति कुमावत उम्र 53 वर्ष निवासी कालेडाकवंवरजी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0 – अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण न0 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 50 खसरा न0 188 रकबा 3.04 है0, खसरा न0 231 रकबा 0.67 है0 कुल किता 02 रकबा 3.37 है0 भूमि वाके ग्राम डाबरकलॉ पटवार हल्का डाबरकलॉ तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। जो जमाबन्दी सम्वतः 2070–74 में बतौर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। उक्त आराजीयात का नामान्तकरण खोलने समय लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति सहवन से कुमावत के बजाय कम्हार अंकित कर दिया गया है जो गलत है हाल जमाबन्दी में प्रार्थीगण की जाति ही लिपिकीय त्रुटिवश अंकित कर दी गई है जबकि प्रार्थीगण की अन्य भूमि/खाते में राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, निर्वाचन नामावली में जाति कुमावत दर्ज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त आराजीयात में कुमावत के बजाय कुम्हार दर्ज कर दिया जो गलत है। उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है और प्रार्थीगण के अलावा प्रार्थीगण के नाम के कुम्हार जाति के अन्य कोई व्यक्ति नही है। प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि से अन्य कोई व्यक्ति का सरोकार व सम्बन्ध नही है उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का अपने हिस्सेनुसार से कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र के चरण न0 1 में वर्णित आराजीयात में

प्रार्थीगण की जाति कुम्हार के बजाय कुमावत दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण की जाति अन्य भूमि एवं सभी दस्तावेज में समान नाम हो एवं प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात में राजस्व रिकार्ड में जाति कुम्हार होने के कारण परेशानी का सामना नही करना पडे। इस कारण प्रार्थीगण की जाति कुम्हार के बजाय कुमावत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थी को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण न0 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 50 खसरा न0 188 रकबा 3.04 है0, खसरा न0 231 रकबा 0.67 है0 कुल किता रकबा 3.71 है0 भूमि वाके ग्राम डाबरकलॉ पटवार हल्का डाबरकलॉ तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है प्रार्थीगण की जाति कुम्हार के बजाय कुमावत दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः— बिन्दु नं0 1 :— चरण प्रथम स्वीकार है। बिन्दु नं0 2 :—वादीगण अपनी जाति कुम्हार के स्थान पर कुमावत के ठोस सबूत मिसल बन्दोंबस्त, नामा0 की लकले स्वंय सिद्ध करे। बिन्दु नं0 3 :— चरण न्यायालय से सम्बन्धित है। इस प्रकार वादीगण की जाति मिसल बन्दोबस्त व अन्य ठोस सबूत उपलब्ध कराने पर ही निर्णय सम्भव है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2071—74 वाके ग्राम डाबरकला के खाता संख्या 50 में प्रार्थीगण की जाति कुम्हार दर्ज राजस्व अभिलेख है। जबकि जमाबन्दी सम्वत 2071—74 के खाता संख्या 40 में प्रार्थी संख्या 2 व 3 की जाति कुम्हार है और अन्य सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड व पहचान पत्र में प्रार्थीगण की जाति कुमावत अंकित है। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि राजस्व कार्मिको से प्रार्थी के उक्त नामों में काफी समानता होने के कारण लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थीगण की जाति कुम्हार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गया, जिसको न्यायहित में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवली को जमाबन्दी सम्वत 2071—74 के खाता संख्या 50 वाके ग्राम डाबरकला पटवार हल्का डाबरकला तहसील देवली के ख. नं. 188, 231 में प्रार्थीगण की जाति कुम्हार के स्थान पर कुमावत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली